न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **69/2024** **GCMS 2024/147**

प्रार्थीगण :–

1. जन्नत पत्नी घासी खां उम्र 62 वर्ष
2. हुसैन पुत्र घासी खां उम्र 45 वर्ष
3. केली पुत्री घासी खां उम्र 40 वर्ष
4. मंजू पुत्री घासी खां उम्र 35 वर्ष
5. अंजू बानो पुत्री घासी खां उम्र 35 वर्ष
6. मुस्कान बानो पुत्री घासी खां उम्र 32 वर्ष

प्रार्थी सं. 01 ता 6 जाति सभी भाट मुस्लिम निवासीयान भाटों का कुआं, ग्राम हरितपुरा खारिया तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोक पुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/12/2024

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी के खसरा नंबर 340 कुल रकबा 0.63 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 342 कुल रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की अवस्थित है। ग्राम हरितनगर के खसरा नंबर 340, 342 पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज चंदा पत्नी गेंदा के नाम सहखातेदारी के अवस्थित रहे एवं समस्त रेकर्ड्स ऑफ राइट्स जमाबंदी में साकिन देह खातेदार दर्ज था; बतौर सबूत संवत् 2068 से 2071 की खतौनी सल[illegible] चंदा पत्नी गेंदा का स्वर्गवास होने के उपरांत उनके स्थान पर उनके जायज पुत्र [illegible] खां, पीरू खां पुत्रान गेंदा के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ उस वक्त खतौनी में साकिन देह खाते[illegible]र्ज रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

घासी खां पुत्र गेंदा के स्वर्गवासोपरांत उनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण के नाम फौतगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम के आगे साकिन देह खातेदार दर्ज रहा। राज्स सरकार ने डिजीटल इंडिया रिकॉर्डस मोर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत राजस्थान की सभी तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया एवं सेग्रीगेशन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी के खसरा नंबर 340 कुल रकबा 0.63 है. एवं खसरा नंबर 342 कुल रकबा 0.01 है. भूमि की जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम के आगे साकिन देह सूरत खातेदार दर्ज कर दिया गया है जो एक मानवीय भूल मात्र है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। इस दुरूस्ती के उपर्युक्त वर्णित खसरा नंबरान के किसी भी अन्य खातेदार पर किसी भी प्रकार का विपरीत असर नहीं पड़ता है। ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी के खसरा नंबर 340 कुल रकबा 0.63 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 342 कुल रकबा 0.01 हैक्टयर में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम के आगे साकिन हरितपुरा खारिया खातेदार दर्ज करवाने एंव साकिन सूरत हटवाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार मूलतः खारिया निवासी है ना कि सूरत अतः इन सब खातेदार का साकिन खारिया किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी के खसरा नंबर 340 कुल रकबा 0.63 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 342 कुल रकबा 0.01 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम के आगे अंकित साकिन सूरत के स्थान पर साकिन खारिया शुद्ध किये जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

–:आदेश :–

ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी के खसरा नंबर 340 कुल रकबा 0.63 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 342 कुल रकबा 0.01 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम के आगे अंकित साकिन सूरत के स्थान पर साकिन खारिया शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:31 IST
Reason: SelfAttested